संख्या:- 16 /2021/ 948/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2021

विषयः- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किया जाना।

महोदय,

आप अवगत है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करते हुए हर घर तक Functional Household Tap Connection (FHTC) दिया जाना है।

2- कार्यालय ज्ञाप सख्या-95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी0सी0-3 दिनांक 21.01.2020 द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति का पुनर्गठन किया गया है तथा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के सदस्य सचिव के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। जनपद स्तर पर जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन का सम्पूर्ण दायित्व इसी समिति का है। इस समिति में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधिकारी भी सदस्य होंगे। उक्त ज्ञाप में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के कार्य एवं दायित्व उल्लिखित है। उनके अतिरिक्त इस शासनादेश के प्रस्तर-15 में पुनः विस्तार पूर्वक जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के दायित्वों का वर्णन किया गया है।

3- इसी प्रकार शासनादेश सख्या-190/छिहत्तर-1-2020-25सम/2019 दिनांक 24.01.2020 द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम को नोडल विभाग के कार्यो के निर्वहन हेतु अधिकृत करते हुए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 794/छिहत्तर-1-2021-09सम/2005टी0सी0-5 दिनाक 04.03.2021 द्वारा लघु सिचाई विभाग को नोडल नामित किए जाने सम्बन्धी शासनादेश सख्या-2100/छिहत्तर-1-2020-09 सम/2005 टी0सी0 5 दिनाक 04.11.2020 को निरस्त किये जाने के कारण शासनादेश सख्या-190/छिहत्तर-1-2020-25सम/2019 दिनाक 24.01.2020 प्रभावी हो गया है, जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा।

4- शासनादेश सख्या-2064/76-1-2020-20-25सम/2019 दिनाक 29 अक्टूबर 2020 द्वारा रू. 2.00 करोड़ तक की परियोजनाओं की स्वीकृति का अधिकार जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन DWSM को प्रदान किया गया है।

5- वर्तमान में जल निगम द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं की पूर्णता हेतु कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जा रहा है और जनपद के अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम इसके नोडल अधिकारी हैं। यह विवरण उत्तर प्रदेश जल निगम की वेबसाइट http://upjn.in पर उपलब्ध है तथा http://jjmup.org पर भी उपलब्ध है।

6- इसी प्रकार से पूर्व निर्मित परियोजनाएं, जो पूरी तरह से Functional नहीं थी, उनमें हर घर तक नल से जल उपलब्ध कराने के लिए परियोजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं। यह कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जा रहा है और अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम इसके नोडल अधिकारी है और इन परियोजनाओं का विवरण उत्तर प्रदेश जल निगम की वेबसाइट http://upjn.in पर उपलब्ध है तथा jjmup.org पर भी उपलब्ध है।

जिलाधिकारियों द्वारा पूर्व से चल रहे कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि समयबद्ध रूप से गुणवत्ता परक कार्य किया जाए और सभी घरों को समय से Functional Household Tap Connection (FHTC) दिया जाए।

7- ऐसी परियोजनायें, जो पूर्व में निर्मित थी, जिनका पुनर्गठन आवश्यक हो गया है, उनकी जनपदवार सूची, गुणता प्रभावित ग्रामों की सूची तथा इसी प्रकार JE/AES से मुख्यतः प्रभावित जनपदों की सूची भी jjmup.org पर उपलब्ध है।

8- इसके तहत प्रथम चरण में बुन्देलखण्ड/विन्ध्य और गुणता प्रभावित अधिकांश क्षेत्रों हेतु योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं की प्रगति एवं विवरण जल जीवन मिशन के पोर्टल http://jjmup.org पर उपलब्ध है। कृपया मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण इन पाइप पेयजल योजनाओं का सम्पादन अपने निर्देशन में तत्काल सुनिश्चित करायें।

9- विन्ध्य/ बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 9 जनपदो के अतिरिक्त प्रदेश के शेष 66 जनपदो हेतु ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के कियान्वयन हेतु निविदा आदि की औपचारिकता पूर्ण करने के पश्चात मण्डलवार/ जनपदवार कार्यदायी संस्थाओं का इम्पैनलमेन्ट कर लिया गया है। इन संस्थाओं की जनपदवार सूची भी jjmup.org पर उपलब्ध है।

यह संस्थायें भूगर्भ जल आधारित, यथासम्भव सोलर पम्प आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं दस वर्ष तक अनुरक्षण का कार्य करेंगी।

10- जल जीवन मिशन की गाइड लाइन के अनुसार इम्पैनल्ड कार्यदायी संस्थाओं द्वारा वरीयता के अनुसार कार्य सम्पादित किया जाना है, जिनमें सर्वप्रथम ओंगमेन्टेशन, रेट्रोफिटिंग, गुणता प्रभावित क्षेत्रों, JE/AES से प्रभावित 20 जनपदों, सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) से आच्छादित ग्रामों तथा आकांक्षात्मक जनपद (बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के 2 आच्छादित जनपदों, जिन्हें पूर्व में कवर किया जा चुका है, को छोड़ते हुए), 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के आबादी वाले ग्रामों को प्राथमिकता पर लिया जाना है तथा अन्य ग्रामों का भी चयन जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन DWSM द्वारा किया जा सकता है, जोकि SWSM द्वारा उस जिले हेतु निर्धारित अधिकतम संख्या के यथासम्भव अन्तर्गत ही चयनित किये जाए।

11- कतिपय जिलों यथा आगरा, मथुरा, हाथरस, उन्नाव, बलिया इत्यादि के कुछ क्षेत्रों में पीने योग्य भूगर्भ जल की समुचित व्यवस्था न होने के दृष्टिगत ऐसे क्षेत्रों का चिन्हांकन कर, उन क्षेत्रों हेतु सतही जल आधारित परियोजनाओं का निर्माण करने की कार्यवाही पृथक से गतिमान है और उनके सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश शीघ्र जारी किये जा रहे है।

सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे जिलाधिकारियों से सम्पर्क कर ग्रामों की सूची प्राप्त करें।

12- वांछित ग्रामों की सूची जिलाधिकारियों द्वारा वेन्डर को 01 सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करा दी जाए। इस हेतु वेन्डर को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जायेगी और यदि कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) आदि वांछित है, तो इस हेतु सम्बन्धित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा। सूची प्राप्त करने के उपरान्त वेन्डर द्वारा शीघ्रातिशीघ्र डी0पी0आर0 बनाकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) में अनुमोदित करायी जायेगी तथा इसके उपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को निर्धारित प्रारूप पर सूची भेजी जायेगी, जिस पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा समुचित परीक्षण करने के उपरान्त अनुमोदन दिया जायेगा।

13- तदोपरान्त जिले में सभी ऐसी परियोजनाओं का Agreement किया जायेगा, जिसका प्रारूप राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित किया गया है, जिस पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) के साथ ग्राम पंचायत और वेन्डर के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे। Agreement के तहत वेन्डर द्वारा शीघ्रता से मानक के अनुरूप कार्य कराया जायेगा। वेन्डर को सभी भुगतान टी0पी0आई0 के परीक्षण के उपरान्त ही राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा Electronically किये जायेंगे, किन्तु यह सुनिश्चित किया जाए कि भुगतान में अनावश्यक विलम्ब न हो।

14- जल जीवन मिशन के समस्त कार्यकलापों का जिलाधिकारियों / मण्डलायुक्तों द्वारा लगातार समयबद्ध रूप से अनुश्रवण किया जायेगा।

15. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा तथा सम्बन्धित पक्षों द्वारा मुख्य रूप से निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी:-

1. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जनपद हेतु सूचीबद्ध इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंसियों (आई0एस0ए0) को 40 ग्राम पंचायतों (लगभग) का क्लस्टर आवंटित करते हुए निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध निष्पादित किया जाना।
2. इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंसियों (आई0एस0ए0) के माध्यम से जल जीवन मिशन की दिशा-निर्देशिका के अनुसार ग्रामों के अन्दर आधारभूत संरचना (Infrastructure) लागत का अंशदान दिए जाने हेतु कम-से-कम 80 प्रतिशत परिवारों की सहमति प्राप्त किया जाना एवं समस्त ग्रामों की ग्राम कार्य-योजना (Village Action Plan) तैयार कराते हुए, जनपद कार्य योजना (District Action Plan) तैयार कराया जाना।
3. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सूचीबद्ध कार्यदायी संस्थाओं (Vendors) को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित संख्या के अनुरूप ग्रामों की सूची/निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराया जाना।
4. सूचीबद्ध कार्यदायी संस्थाओं (Vendors) से समयबद्ध रूप से डी0पी0आर0 तैयार कराते हुए निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण किया जाना तथा शासनादेश संख्या 2064/छिहत्तर-1-2020-25सम/2019 दिनांक 29.10.2020 के प्रस्तर 5 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना। रू0 2.00 करोड़ लागत तक की परियोजनाओं की डी0पी0आर0, डिजाइन/ड्राइंग की तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम स्तर द्वारा प्रदान की जायेगी।

   रू0 2.00 करोड से अधिक लागत की परियोजनाओं का डी0पी0आर0, डिजाइन/ड्राइंग जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा अपनी संस्तुति सहित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराया जाएगा, जिनका परीक्षण राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत गठित तकनीकी प्रकोष्ठ के द्वारा किया जाएगा। तकनीकी प्रकोष्ठ के टिप्पणीयों के अनुसार संशोधनोपरान्त डी0पी0आर0, अधीक्षण अभियन्ता, एस0ड0ब्ल्यू0एस0ए0म0 स्तर से संस्तुति एवं मुख्य अभियन्ता/यूनिट कोर्डिनेटर तकनीकी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी। रू. 5.00 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं के डी0पी0आर0 की वेटिंग आई0आई0टी0/एन0आई0टी0/अन्य राजकीय महाविद्यालयों/राजकीय विश्वविद्यालयों से कराने के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। ड्राइंग/डिजाइन की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, एस0ड0ब्ल्यू0एस0ए0म0 द्वारा प्रदान की जायेगी तथा जनपद स्तर पर परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के Quality Assurance Plan (QAP) का तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा परीक्षण किये जाने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता, एस0ड0ब्ल्यू0एस0ए0म0 द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
5. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अनुमोदन के उपरान्त ग्राम पंचायतों, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंसी और सूचीबद्ध कार्यदायी संस्थाओं (Vendors) के मध्य निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध निष्पादित कराते हुए तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना।
6. सूचीबद्ध कार्यदायी संस्थाओं (Vendors) को वांछित अनापत्तियां प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।
7. अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रत्येक योजना हेतु अवर अभियन्ता को प्रभारी नामित किया जायेगा जो सभी कार्य-स्थलों का निरीक्षण करते हुए गुणवतापूर्ण एवं समयबद्ध कार्य का सम्पादन सुनिश्चित कराएंगे। यथासम्भव जनपद स्तर पर उपलब्ध जल निगम के सिविल इंजीनियरिंग के अभियन्ता प्रभारी के रूप में नामित किए जायेंगे, किन्तु आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी अन्य विभागों के सिविल इंजीनियरिंग के अवर अभियन्ताओं को यह कार्य सौंप सकते है। विद्युत/यांत्रिक कार्यों के लिये जनपद स्तर पर उपलब्ध विद्युत/यांत्रिक अवर अभियन्ता को आवश्यकतानुसार कई निर्माण कार्यों के लिये प्रभारी बनाया जाएगा।
8. जनपद स्तर पर पर्यवेक्षणीय अधिकारी और विभागीय अधिकारियों का दायित्व होगा कि कार्य पर्याप्त गुणवत्ता एवं समयबद्ध रूप से किया जाये।
9. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जनपद/मण्डल हेतु चयनित थर्ड पार्टी इन्स्पैक्शन (टी0पी0आई0) एजेंसी द्वारा योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु निरीक्षण किया जाएगा एवं इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही (Vendors) का भुगतान किया जाएगा।

10. कार्यदायी संस्थाओ द्वारा बिल प्रस्तुत किये जाने से लेकर भुगतान तक की समस्त कार्यवाही राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा तैयार की जा रही ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से की जायेगी।
11. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्यो का मापन करते हुए, ससमय पर बिल ऑनलाइन प्रस्तुत किये जायेंगे और वांछित अभिलेख यथा-माप (मेजरमेन्ट) इत्यादि भी साथ में अपलोड किये जायेंगे।
12. संस्थाओं द्वारा बिल अपलोड करने के उपरान्त नामित प्रभारी अवर अभियन्ता, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा थर्ड पार्टी इन्स्पैक्शन (टी0पी0आई0) एजेन्सी द्वारा अधिकतम 48 घंटे के अन्दर संयुक्त निरीक्षण करते हुए, मापन एवं कार्य की गुणवत्ता का सत्यापन किया जायेगा। मापन के सत्यापन में थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन (टी0पी0आई0) एजेन्सी की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा अन्य दो में से किसी एक के अनुपस्थित रहने के स्थिति में भी सत्यापन मान्य होगा। मापन एवं कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने की दशा में टी0पी0आई0 द्वारा वेंडर के स्थानीय प्रतिनिधि को अवगत कराते हुए तत्काल निराकरण कराया जायेगा। सत्यापित मार्पो की माप पुस्तिका में अंकन की कार्यवाही प्रभारी अवर अभियंता द्वारा की जाएगी।
13. थर्ड पार्टी इन्स्पैक्शन (टी0पी0आई0) एजेन्सी द्वारा मापन की पुष्टि किये जाने के उपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षणीय मानकों के अनुसार 24 घंटे के भीतर क्रास चेकिंग कर ली जायेगी और 24 घंटे पूर्ण होते ही पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा टिप्पणी अकित किये जाने अथवा न किये जाने, दोनों ही दशाओ में बिल स्वीकृति के विषय में अनुशंसा की जायेगी।
14. जनपद स्तर पर पर्यवेक्षणीय अधिकारी और विभागीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिलों के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब न हो, साथ ही वित्तीय नियमों का ध्यान भी रखा जाएगा।
15. भुगतान की अनुसंशा सहित बिल प्राप्त होने पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा शीघ्र प्राथमिकता पर नियमानुसार पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
16. अवर अभियन्ता, पर्यवेक्षणीय अधिकारी, टी0पी0आई0 तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा लगातार कार्य की गति एव गुणवत्ता बनाये रखी जायेगी और इस सम्बन्ध मे यदि कोई कमी दृष्टिगोचर होती है, तो उक्त का अतिशीघ्र समाधान कराया जायेगा और नियमानुसार ससमय भुगतान सुनिश्चित कराया जायेगा।
17. योजनाओं के निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति ejalshakti.gov.in वेबसाइट पर Real Time Basis पर अपलोड की जाएगी। इसी प्रकार इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंसियों (आई0एस0ए0) द्वारा संचालित गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट भी उक्त वेबसाइट पर Real Time Basis पर अपलोड की जाएगी।
18. जल जीवन मिशन की समस्त वित्तीय एव भौतिक प्रगति MIS पर प्रविष्टि एवं सत्यापन करना।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 16 /2021/ 948 (1)/छियत्तर-1-2021 25 सम/2019 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
2. अपिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव